



संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ,  
SANJAY GANDHI POSTGRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES,  
RAJ BAREIL ROAD, LUCKNOW, U.P (INDIA).

EPBX NO. 0522-2494000/2495000/2668700/2668800/2668900  
FAX:- 0522-2668017/2668078.

विज्ञापन संख्या-1/39/Recruit/2018-19

ऑनलाइन आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन एवं शुल्क जमा करने के प्रारम्भ होने की तिथि- 25.09.2018  
अपेक्षित अभिलेख अपलोड करने के प्रारम्भ होने की तिथि -28.09.2018

ऑनलाइन आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन एवं शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि- 24.10.2018

अपेक्षित अभिलेख अपलोड करने की अंतिम तिथि - 27.10.2018

आवेदन पत्र सबमिट करने (Final Submission) की अंतिम तिथि- 30.10.2018

संस्थान के विज्ञापन संख्या- 1/39/Recruit/2018-19 के अंतर्गत स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट के कुल 01 पद पर चयन हेतु, भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उक्त पद के लिए अभ्यर्थी को केवल एक ही आवेदन सबमिट (SUBMIT) करना है।

1. ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना-

इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति (online application system) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन ही करें।

“ऑनलाइन आवेदन” करने के संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित निर्देशों को भली-भांति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें।

संस्थान की वेबसाइट [www.sgpqi.ac.in](http://www.sgpqi.ac.in) पर निम्न 04 सूचनायें/विवरण प्रदर्शित होंगे:-

1. होम (Home)
  2. एडवर्टिजमेंट (Advertisement)
  3. रजिस्टर एण्ड पे-ऑनलाईन (Register & Pay online)
  4. हेल्प (Help)
- होम (Home) में इस चयन के सम्बन्ध में संक्षिप्त सूचना उपलब्ध होगी।
  - एडवर्टिजमेंट (advertisement) में अभ्यर्थी एडवर्टिजमेंट को विलक करें। ऐसा करने पर पूरा विज्ञापन प्रदर्शित होगा।
  - रजिस्टर एण्ड पे-ऑनलाईन (Register & Pay online) आवेदन हेतु विलक करें। ऑनलाइन आवेदन करने का कार्य निम्नलिखित 02 स्तरों पर किया जाएगा:-

प्रथम स्तर- रजिस्टर एण्ड पे-ऑनलाईन (Register & Pay online) विलक करने पर एस0बी0आई0 कलेक्ट (SBI Collect) खुलेंगा तथा उसकी शर्तें एवं नियम स्वीकार करने के उपरान्त अभ्यर्थियों का स्टेट आफ डोमेसाईल, श्रेणी, विज्ञापन संख्या, नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम, माता का नाम, पति का नाम,

मोबाइल संख्या, ईमेल आदि विवरण अंकित करने है। तदोपरान्त निर्धारित फीस का आनलाईन (online) भुगतान किया जायेगा। शुल्क भुगतान के दो कार्य दिवसों के उपरान्त अभिलेख अपलोड किये जा सकेंगे तथा अपेक्षित सूचनाएं अंकित की जानी होंगी।

द्वितीय स्तर— प्रथम स्तर की कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त अभ्यर्थियों द्वारा फिल अस्कीकेशन फॉर्म (Fill Application form) को विलक कर अधोलिखित अभिलेख अपलोड किये जायेंगे तथा अपेक्षित सूचनाएं अंकित की जायेंगी—

- पारसपोर्ट साईज रंगीन फोटोग्राफ
- बायें हाथ के अंगूठे का निशान
- हस्ताक्षर
- जन्मतिथि के साक्ष्य हेतु हार्डस्कूल का प्रमाण-पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)

अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने हाल के नवीनतम (छ: महीने से पुराना न हो) आवक्ष तक के रंगीन फोटोग्राफ तथा नमूना हस्ताक्षर की स्कैनिंग कर प्रविष्टि (upload) करेंगे। फोटोग्राफ, अपेक्षित प्रमाण-पत्र एवं हस्ताक्षर (\*.jpg) के प्रारूप पर होंगे जिसका आकार 80KB से अधिक नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी काली रसाही से हस्ताक्षर करके उसको स्कैन करेंगे। यदि फोटो, प्रमाण-पत्र व हस्ताक्षर आदि निर्धारित आकार में स्कैन करके अपलोड नहीं किया जाता है तो ऑनलाइन आवेदन, सिस्टम पर स्वीकार नहीं होगा। फोटो आदि अपलोड करने के उपरान्त "यू एक्सीकेशन फॉर्म" को विलक करके अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गयी सूचनाओं को देखेंगे कि सभी सूचनाएं सही-सही भरी गयी हैं और पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ऑनलाइन आवेदन संस्थान को प्रेषित करने हेतु "सबमिट" बटन को विलक करें। अभ्यर्थी द्वारा समस्त सूचनाएं सही-सही निर्देशानुसार ऑनलाइन फॉर्म में भरकर आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि तक सबमिट बटन को विलक करना आवश्यक है, यदि अभ्यर्थी द्वारा सबमिट बटन को विलक नहीं किया जाएगा तो आवेदन सबमिट नहीं होगा। इसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा। "सबमिट" बटन को विलक करने के पश्चात आवेदन का प्रिंटआउट लेकर अभ्यर्थी इसे अपने पास सुरक्षित रखें, इसे संस्थान को प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन करते समय पूरी सावधानी बरतें क्योंकि किसी विसंगति के लिए संस्थान जिम्मेदार न होगा।

नोट— अभ्यर्थी कृपया ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के प्रथम तथा द्वितीय स्तर का अनुपालन सुनिश्चित कर लें। यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन शुल्क जमा करने के बाद अंतिम रूप से अपना आवेदन सबमिट नहीं करता है तो आवेदन की प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी। अभ्यर्थी के अंतिम रूप से आवेदन सबमिट न करने की दशा में उनका आवेदन अपूर्ण रह जाएगा और उसके लिए संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा।

2. एक बार आवेदन "सबमिट" करने के पश्चात उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

3. आवेदन शुल्क— आवेदन हेतु निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है—

क्र.सं.	श्रेणी	आवेदन शुल्क (Non-refundable)
1	उ0प्र0 के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति	300.00
2	अन्य (अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग)	500.00

नोट- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, महिला अभ्यर्थियों तथा भूतपूर्व सैनिकों को, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है, ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के माने जायेंगे तथा अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी हेतु उपरोक्तानुसार देय फीस जमा करनी होगी, अन्यथा की स्थिति में आवेदन-पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

4. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में किया गया दावा सत्य नहीं पाये जाने पर अभ्यर्थी को संस्थान की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त चयनों/परीक्षाओं से डिबार करने की कार्यवाही तथा अन्य दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

5. सबमिट किये गए आवेदन में यदि अभ्यर्थी कोई संशोधन करना चाहते हैं तो निर्धारित अंतिम तिथि तक वे दूसरा आवेदन (संकेपड रजिस्ट्रेशन) संशोधित सूचना के साथ, पुनः आवेदन शुल्क जमा करके ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। पहले आवेदन में जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा और उसका समायोजन अन्य आवेदन में भी नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा उक्त पद के लिए एक से अधिक आवेदन 'सबमिट' करने की दशा में अंतिम आवेदन ही स्वीकार होगा, शेष सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे।

6. संस्थान में स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट के रिक्त पद का विवरण निम्नवत है :-

क. सं.	विभाग का नाम	पद नाम	समूह	लेवल एवं पे मैट्रिक्स	01 जुलाई 2018 को आयु (न्यूनतम-अधिकतम) वर्षों में	पदों की संख्या	
						कुल पद	अनारक्षित
1	संजय गौधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ	स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट	ग	लेवल-5 पे मैट्रिक्स- 29200-92300	21-40	01	01

टिप्पणी

- उपर्युक्त पद के सापेक्ष आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी, जो 01 जुलाई, 2018 को पद के सामुख अंकित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं और पद हेतु विहित अपेक्षित अर्हताएं, जिसका उल्लेख आगे किया जा रहा है, धारित करते हैं, वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है।

7. अपेक्षित अर्हताएं :-

उपर्युक्त पद पर भर्ती हेतु अपेक्षित अर्हताएं निम्नवत है तथा आवेदन (Final Submission) की अंतिम तिथि तक अपेक्षित अर्हताएं धारित करने वाले अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शैक्षिक अर्हताओं एवं अनुभव सम्बन्धी समस्त प्रमाण-पत्र तथा उक्त अपेक्षित प्रमाण-पत्र स्कैन कर निर्धारित स्थान पर अपलोड किये जायेंगे।

क.सं.	पद नाम	अनिवार्य अर्हता/अधिमात्री अर्हता
1	स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट	M.Sc. with Mathematics, Static or Statistical Matha

## 8. आयु सीमा :-

(a) आयु गणना की निश्चयाक तिथि 01 जुलाई, 2018 है और उक्त तिथि को अभ्यर्थी की आयु उपर्युक्त सारणी में अंकित आयुसीमा के अर्न्तगत हो, अर्थात अभ्यर्थी ने 01 जुलाई, 2018 को 21 वर्ष की आयु अवश्य प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो।

(b) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ावर्ग और ऐसी अन्य श्रेणी, के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा चलने वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ावर्ग हेतु अधिकतम आयु में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। शासनादेश दिनांक 28.11.1995 के अनुसार वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों को 5 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी, भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट इस शर्त के साथ अनुमन्य होगी कि उनकी सम्पूर्ण सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु में से घटा कर, परिणामस्वरूप शेष आयु निर्धारित आयु से 03 वर्ष से अधिक न हो। आवेदन की अंतिम तिथि तक सेना से मुक्त होना अनिवार्य है।

9. आरक्षण:- उ0प्र0 की अनुसूचित जातियों/उ0प्र0 की अनुसूचित जनजातियों, उ0प्र0 के अन्य पिछड़ा वर्गों को उच्चतर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक विद्यमान शासनादेशों के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। आरक्षण का लाभ केवल उ0प्र0 के निवासियों को ही अनुमन्य होगा।

नोट:- (1) आरक्षण/आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र/आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, जो आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो तथा सत्यापन करने पर संगत वेबसाईट में उपलब्ध हो। जाति प्रमाण-पत्र संगत वेबसाईट से सत्यापित न होने की दशा में निरस्त माना जायेगा।

(2) दिव्यांगजनों को आरक्षण/आयु में उच्चतर प्रदेश शासन के नियमानुसार छूट का लाभ प्रदान किया जायेगा, बशर्ते उनके द्वारा उच्चतर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत प्रारूप में प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया गया हो।

10. चयन का आधार:- चयन हेतु निम्न 02 स्तर होंगे:-

पार्ट-"ए" लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

पार्ट-"बी" इण्टरव्यू/रिकल टेस्ट/शैक्तिकल टेस्ट/टेकिनकल टेस्ट

• श्रेष्ठता के क्रम में पार्ट-बी हेतु प्रति पद तीन अभ्यर्थी (1:3) बुलाये जायेंगे।

11. अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अनुदेश:-

1. उच्चतर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें।
2. एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जाएगी।
3. वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी तथा भूतपूर्व सैनिक उच्चतर प्रदेश शासन द्वारा अद्यावधिक निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र पर अपना दावा प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा अभ्यर्थी द्वारा एतदर्थ किया गया दावा स्वीकार नहीं होगा।

4. उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, जैसी भी स्थिति हो, की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह अथवा उनका परिवार सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करता हो, ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा।
5. उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह अथवा उनका परिवार सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करता हो। ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा।
6. जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत है, वे अपने सेवायोजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें, जिसे मांगे जाने पर संस्थान को प्रस्तुत करना होगा, प्रारम्भ में अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है, परन्तु इस आधार पर विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों को कालबाधित माना जाएगा।
7. राज्यधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को 30प्र0 शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 2-ई.एम./2001-का-4-2013, दिनांक 27 अगस्त, 2013 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।
8. ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो विवाहित हैं तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से ही एक जीवित पत्नी है, पात्र नहीं समझे जाएंगे बशर्ते कि राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त प्रतिबंध से मुक्ति प्रदान न कर दी गयी हो।
9. अभ्यर्थी के अर्ह/अनर्ह होने के संबंध में संस्थान का निर्णय अंतिम होगा।
10. चयनित महिलाओं, उ0प्र0 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिकों को विद्यमान नियमानुसार उन श्रेणियों में रखा जाएगा, जिनसे वे संबन्धित हैं।
11. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, महिला अभ्यर्थियों तथा भूतपूर्व सैनिकों को जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है, ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के माने जायेंगे। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

## 12. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश-

1. किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर संस्थान की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित किया जा सकता है।
2. ऑनलाइन आवेदन "सबमिट" हो जाने के पश्चात संस्थान कार्यालय में अभ्यर्थी की श्रेणी, उपश्रेणी, जन्मतिथि, जॉडर (लिंग) आदि में परिवर्तन अनुमन्य नहीं है। अतः रजिस्ट्रेशन करते समय व आवेदन सबमिट करते समय सभी सूचनाएँ सही-सही भरें। गलत सूचना भरने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। ऑनलाइन प्रक्रिया में आवेदक द्वारा भरी गयी सूचनाएँ अंतिम हैं, इसमें संस्थान द्वारा संशोधन किया जाना संभव नहीं है।
3. हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

4. आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित प्रति साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा।
5. परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के संबंध में अनुक्रमांक सहित प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केंद्र के किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमत्त नहीं होगा।
6. जो अभ्यर्थी कालांतर में अर्ह नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और इस संबंध में संस्थान का निर्णय अंतिम होगा।
7. संस्थान अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबन्धिक प्रवेश देगा, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उक्त स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि नियुक्ति हेतु निर्णय ले भी लिया गया तो उसे निरस्त कर दिया जायेगा।
8. कदाशय अर्थात परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्यवहार तथा अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से प्रतिवारित किया जा सकता है।
9. नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण करना होगा।
10. ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन "सबमिट" करने की अंतिम तिथि तक वांछित अनिवार्य अर्हता नहीं रखते हैं, वे इस परीक्षा में आवेदन न करें क्योंकि वे पात्र नहीं हैं। उनका अभ्यर्थन स्वीकार नहीं होगा।
11. संस्थान अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वे तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो जाए कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अर्ह हैं।
12. किसी अनाचार/कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छुपाने, अभियोजन/अपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों के गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/चयन के संबंध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा संस्थान की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित करने का अधिकार संस्थान का होगा।
13. यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही है तो अधोलिखित हेल्प डेस्क से सम्पर्क करें— Email: recruitment18@sgpgi.ac.in
14. इस विज्ञापन/चयन को निरस्त करने एवं संशोधन करने का सम्पूर्ण अधिकार निदेशक में निहित होगा। इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार न होगा।

निदेशक